

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secy@rajasthan.gov.in Ph. 0141-2227280, 2227072 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1670

दिनांक 20/4/18

आदेश

सां.आ. 110/2018- आयोग के आदेश क्रमांक 4030/16.09.2014 (सां. आ. 96/2014) एवं 8129/17.11.2014 (सा. आ. 98/2014) के माध्यम से कमशः नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का चिन्ह एवं इसकी विशिष्टियां निर्धारित की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं शब्दावली को परिवर्तित कर दिया गया है। चुनावों में एकरूपता बनाए रखने एवं मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग अपने उक्त आदेशों के द्वारा विहित किए गए 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं उसकी शब्दावली को एतद् द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार परिवर्तित करता है:-

नोटा (इनमें से कोई नहीं)



आयोग द्वारा जारी ऐसे समस्त आदेश जिनमें 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का संदर्भ दिया गया है, उन्हें उक्तानुसार संशोधित माना जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

(चन्द्रशेखर मूधा) 20/4/18
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1671-76

दिनांक 20/4/18

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में प्रकाशित करावें।
6. लेखा शाखा/स्टोर शाखा/कम्प्यूटर शाखा राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन) 20/4/18
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 8129

दिनांक :- 17/11/14

आदेश

सां.आ. 98/2014- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना - No.F.4(25) Am/Rule/Ele/Legal/PR/2014/1531 दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40, 50, 52, 59, 36A, 39A, 44A, प्ररूप-VII तथा प्ररूप-XIV में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में ऐसे मतदाता जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहते, उनके लिए मतपत्र में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। इन नियमों में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प हेतु कोई चिह्न विहित नहीं किया गया है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतपत्र में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है :-

1. मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के लिए पैनल में अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर "उपर्युक्त में से कोई नहीं" अंकित किया जाएगा।
2. मतपत्र में 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने चुनाव चिह्न के स्थान पर **NOTA** चिह्न गोलाकार किनारों के साथ आयताकार रूप में अंकित किया जाएगा।
3. 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के निर्धारित उक्त चिह्न के पृष्ठभूमि (background) में काला रंग होगा, जिस पर सफेद रंग से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTER) में NOTA अंकित होगा।

आज्ञा से,

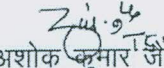

(सत्य प्रकाश बसवाल)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 8130-36

दिनांक :- 17/11/14

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
7. लेखा शाखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/4030

दिनांक: 16/9/14

आदेश

सां. आ. 96/2014. राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB/14 दिनांक 11 जुलाई 2014 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34, 34-ए के उप नियम (2), (5), एवं (6) में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार अब नगरपालिका निर्वाचनों में ऐसे मतदाता जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहते, उनके लिए मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। इन नियमों में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प हेतु कोई चिन्ह विहित नहीं किया गया है। अतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को प्रदर्शित करने के लिए निम्नांकित निर्देश प्रदान करता है :-

1. मतपत्र पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा के विकल्प के लिए पैनल में अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर "उपरोक्त में से कोई नहीं" अंकित किया जाएगा।
2. मतपत्र में 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने चुनाव चिन्ह के स्थान पर **NOTA** चिन्ह गोलाकार किनारों के साथ आयताकार रूप में अंकित किया जाएगा।
3. 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के निर्धारित उक्त चिन्ह के बैकग्राउण्ड में काला रंग होगा, जिस पर सफेद रंग से अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में NOTA अंकित होगा।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश बसवाली)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 16/9/14

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/4031-37

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।
5. समस्त निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के भाग 6(क) में प्रकाशित कर 50 प्रतियां आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव